



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2013/वैशाख 19, 1935

No. 102]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2013/VAISAKHA 19, 1935

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 30 अप्रैल, 2013

विषय: 'अन्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में सहयोग संबंधी समझौते के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश' ।

सं. 1/10/8/2009-ईआर.—इस विभाग के दिनांक 4-6-2010 के संकल्प संख्या 1/10/8/2009-ईआर में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने इस संकल्प के पैराग्राफ 8 के तहत प्राधिकार प्रदान करने तथा आवेदन शुल्क विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुराक्ति भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, मुम्बई-400001 में ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव के नीचे की रैंक का न हो, को पदनामित करने का निर्णय लिया है । तदनुसार, उक्त पैराग्राफ में 'अपर सचिव' शब्दों के स्थान पर 'ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव के नीचे की रैंक का न हो' शब्दों को प्रतिस्थापित माना जाएगा ।

राहुल कुलश्रेष्ठ, संयुक्त सचिव

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY****NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th April, 2013

**Subject : 'Guidelines for implementation of arrangements for cooperation concerning peaceful uses of atomic energy with other countries'**

**F. No.1/10/8/2009-ER** .— In partial modification of the Resolution No.1/10/8/2009-ER dated 04.06.2010, the Government of India have decided that an officer not below the rank of Joint Secretary in the Department of Atomic Energy, Anushakti Bhavan, Chatrapati Shivaji Maharaj Marg, Mumbai-400 001 be designated as the competent authority for grant of authorization, including prescribing application fee under paragraph 8 thereof. The words 'An officer not below the rank of Joint Secretary' shall accordingly stand substituted for the words 'Additional Secretary' in the said paragraph.

RAHUL KULSHRESHTH, Jt. Secy.